

  
समृद्धि-जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2015/आषाढ़ 15, 1937

No. 429]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2015/ASHADHA 15, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2015

**सा.का. नि. 536(अ).**— केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 44 और धारा 45 के साथ पठित धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) दूसरा संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 के नियम 3 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और कि ऐसे लोकसेवक जिन्होंने ऐसे लोकसेवकों को लागू नियमों के उपबंधों के अधीन संपत्ति की घोषणा, सूचना और वार्षिक रिटर्न फाइल की है, यथास्थिति पुनरीक्षित घोषणा, सूचना या वार्षिक रिटर्न 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को 15 अक्टूबर, 2015 को या उससे पूर्व फाइल करेंगे।”

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV(ख)]

जिशनू बरुआ, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 501(अ) तारीख 14 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 638(अ) तारीख 8 सितंबर, 2014, सा.का.नि. 918(अ) तारीख 26 दिसंबर, 2014 और सा.का.नि. 322(अ) तारीख 27 अप्रैल, 2015 संशोधित किए गए।

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**  
**(Department of Personnel And Training)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd July, 2015

**G.S.R. 536(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (k) and clause (l) of sub-section (2) of section 59 read with section 44 and section 45 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Second Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014 in rule 3, sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the public servants who have filed declarations, information and annual returns of property under the provisions of the rules applicable to such public servants, shall file the revised declarations, information or as the case may be, annual returns as on the 31<sup>st</sup> day of March, 2015, to the competent authority on or before the 15<sup>th</sup> day of October, 2015.”

[F. No. 407/12/2014-AVD-IV(B)]  
JISHNU BARUA, Jt. Secy.

**Note.**— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 501(E), dated the 14<sup>th</sup> July, 2014 and amended vide notification numbers G.S.R. 638(E), dated 8<sup>th</sup> September, 2014, G.S.R. 918(E), dated 26<sup>th</sup> December, 2014 and G.S.R. 322(E), dated 27<sup>th</sup> April, 2015.